

अलग-अलग सोता यह शहर के लिए बड़े का भेद, न ए जानी ह. इस माता जाना धीशों व भयोजक ाल के वकीलों नियमित कि यहां इसका शहरी के लिए का यही ट आए. ये फैलाने घटना को व समाज की साथ ही मौत , जितनी ई मौत के शहर के से आपको घटनाओं रहता है. एक सतर्क हो गए हैं. पहले लोग पड़ी हुई चीजों को उठाने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन अब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है. लोग अधिक जागरूक तथा जिम्मेदार हो रहे हैं. आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के मुकदमे में बचाव तथा अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऐसे मामलों में न्याय होना ही चाहिए. उन लोगों के साथ तो न्याय होता दिखाई देना चाहिए, जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने अपनों को ऐसे हादसों में गंवा दिया है. न्यायालय की भी ऐसे मामलों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदेश डी. पाटिल के अनुसार आतंकवादी वारदातों के आरोपों में पकड़ गए लोगों का मुकदमा लेने से वकील झिझकते हैं. कुछ लोगों को छोड़कर बाकी वकील तो आतंकवादियों के मुकदमे किसी भी कीमत पर नहीं लेते. ऐसे मामलों के लिए कानून भी सख्त हैं. घटना के व्यापक असर को देखते हुए आरोपियों को जमानत तक नहीं मिलती. बचाव पक्ष की ओर से बहिष् न्यायालयों में याचिकाएं दाखिल कर सुनवाई में रोड़े डाले जाते हैं. ऐसे में मामले लटक जाते हैं. ऐसे मामलों की जांच पुलिस को विशेष तवज्जे देकर ईमानदारी से करनी चाहिए. इसकी सुनवाई भी साफ, पारदर्शक तरीके से होनी चाहिए. वकील न्यायाधीश संवेदनशील लोग हैं. लेकिन अब मुंबई के लोगों की संवेदनशीलता कम होने लगी है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता निलेश भगवा पावस्कर के अनुसार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय शहर है. य



को भी बंगले वाले की आवश्यकता है। यहाँ के इस समाज में हर एक को मजदूरी जरूरत है। इसी कारण हम सब से आई बनी हुई है। मुंबई बनी रही तो मैं बना गावना यहाँ के हर शहरी के दिल में है। मैं मुंबई, यहाँ भावना यहाँ के हर शहरी के मन में है। यही कारण है कि यहाँ आई मुसीबत आसानी से उठ खड़े होते हैं। ऐसे में साथ मिलकर यहाँ अपनी तकलीफ बन जाती है। यहाँ अपने पास मौजूद सारे साधनों से मुंबई दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में लगता है कि मुंबई को नहीं, अपने आपका सहायता दे देना करने वाला यहाँ का भी उपकार की सहायता नहीं करता, बल्कि अपना फर्ज निभाने है। सहायता करने के बाद भी किए

जैसा नहीं लगता। न्यायालय को भी बम ब्लास्ट जैसे मामलों में फैसला जल्द देना चाहिए। ऐसे में वकीलों का भी यह फर्ज है कि वे समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करें। दूसरे मामले पर ध्यान कम देकर ऐसे मामलों के फैसले जल्द आने के लिए प्रयास करें। फैसले जल्दी आने से ऐसे हादसों में भुक्तभोगियों, पीड़ितों को भी कुछ राहत मिलेगी। साथ ही गलत लोगों को भी संदेश मिलेगा कि यहां समर्थन करने के बाद हम बच नहीं सकते। ऐसे में वे अकेले पड़ जाएंगे। उनका साथ देने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा होने के लिए फर्ज समझकर हमें न्यायालय की सहायता करनी होगी। वकील का काम अपराधी को सजा दिलाना है। वकील जब अपने मुवक्किल से बात करता है तथा मुकदमे को समझता है, उसी समय उसे पता चल जाता है कि उसका मुवक्किल वास्तव में अपराधी है या पीड़ित। दोषी मुवक्किल की जानकारी होते ही अपने हाथ खींच लेने चाहिए। उसके लिए अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पीड़ित के साथ अन्याय होता है। अच्छे वकील का फर्ज है कि वह अपने मुवक्किल को कानून से मिलने वाली रियायत दिलाए, लेकिन यह उसका फर्ज नहीं है कि वह अपराधियों को सजा से बचाए। यदि वकील इस फर्ज को भूल जायेंगे तो समाज अपराधियों से भर जाएगा। यही बात अभियोजन पर भी लागू है। यदि पुलिस या अभियोजन के वकील को समझ में आ जाता है कि आरोपियों में से कोई गलत फंसाया जा रहा है तो उसके खिलाफ झूठे गवाह नहीं खड़े करने चाहिए। वकालत एक नोबल प्रोफेशन है। न्यायालय हमारे लिए मंदिर है, तो हम उसके पुजारी। पुजारी का यह काम है कि वह मंदिर को किसी भी कीमत पर गंदा होने से बचाए। गंदे लोगों के लिए न तो मंदिर में जाहद है और न ही समाज में।



मुं बई केवल औद्योगिक विकास की ही जगह नहीं है बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक सोच को यहां बल मिलता है। चूंकि अपने-अपने क्षेत्र में देश के शीर्ष विशेषज्ञ मुंबई में बसना पसंद करते हैं, इसलिए यहां का मानक काफी बुलंद है। यह मानना है विश्व के 35 देशों में विज्ञान को चुनौती देने वाले विश्व गुरु महेन्द्र कुमार त्रिवेदी का।

गुरु त्रिवेदी ने विश्व भ्रमण से पहले मुंबई समेत भारत के कई महानगरों का दौरा किया। अपने अनुभव के आधार पर उनका मानना है कि मुंबई की जीवटता यहां के लोगों का अदम्य साहस इस तथ्य का प्रमाण है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वैसे उनका मानना है कि 1850 से लेकर अब तक एक भी भारतीय ने विज्ञान के अविष्कार में वह स्थान नहीं बनाया जो यहां की मिट्टी में मिलना चाहिए। यही वजह है आज विदेशों में भारतीय अध्यात्म को कभी-कभी शंका की नजर से देखा जाता है। सभी समस्याओं का अंत करने में अध्यात्म की महती भूमिका है। यही नहीं भारत में अध्यात्मिक गुरु पैदा होते रहे हैं। वैसे यह दुर्भाग्य है कि देश में गुरु पैदा तो होते हैं लेकिन भारत में पंपन नहीं पाते। यह सच्चाई है। लेकिन यह केवल देश के सत्ताधीशों की गलती ही नहीं बल्कि अध्यात्मिक गुरुओं को भी हमेशा वर्ल्डवाइड मिशन को लेकर अध्यात्मिक शक्ति के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए तैयार रहना

वैज्ञानिक-आध्यात्मिक
चेतना का केन्द्र बन
सकती है **मुंबई**

चाहिए। 2004 में नासा ने नए उपकरण से विश्लेषण करके गुरु की अध्यात्मिक और देह में निहित दैवी ताकत का विश्लेषण किया। जिसमें साधारण मनुष्य 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन गुरु ने वह कर दिखाया और वैज्ञानिकों ने उस सही ठहराया। मुंबई में हर तरह के विकास की जो संभावनाएँ हैं उनमें कई तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं। जीन सिक्वेंस को अल्ट्रा करने का असेंभव काम भी भारत में कर दिखाया गया है। इसके लिए 72 प्रयोग किए जा चुके हैं। जिसमें जबलपुर, बनारस, पंतनगर, हिसार, दहोली आदि जगहों पर इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च सेंटर या नेचुरल वेजिटेबल रिसर्च सेंटर में किए गए प्रयोगों का आधार पर यह निश्चय हुआ कि बिना कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग किए बगैर कृषि उत्पादन में क्रांति लायी जा सकती है।

इसके लिए www.divinelife.us के जरिए इसकी पुष्टि की जा सकती है। इस तरह के कई प्रयोग किए जा चुके हैं। पर्यावरण को बचाते हुए खेती बागवानी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपक्रम किया जा सकता है। क्योंकि पर्यावरण को सबसे अधिक खतरा कीटनाशकों से ही होता है। आर्गनिक खेती के जरिए प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस तरह की संभावनाओं का केन्द्र कनाडा और अमरीका के अलावा मुंबई में बनाया जा सकता है।

मेजर रमेशन, सूबेदार मेजर बलवीर सिंह, नाथब सूबेदार सुरेंद्रकुमार आर. एच. एम. यू.पी. सिंह, हवलदार सुभाष, हवलदार महावीर, अरुण, राकेश, अजय दोलुई बनजी, मजुमदार मेरियन, गुंगरा राधेश्याम, ओमप्रकाश के अलावा उस यूनिट के तमाम जवानों का यलिया सदस्योय हन जवान और आफिसीयों ने जिस धैर्य और साहस का परिचय

जब मेघ के सामने इटा 'आपरेशन मेघ'